न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–158/2026

(गिद्धौर थाना कांड संख्या–10/2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय जमुई

मोनू कुमार उर्फ त्रिलोकीनाथ यादव बनाम बिहार सरकार

आदेश

23.03.2026 1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त **मोनू कुमार उर्फ त्रिलोकीनाथ यादव** उम्र 19 वर्ष पिता शंकर यादव साकिन–रतनपुर, थाना–गिद्धौर, जिला जमुई की ओर से गिद्धौर थाना कांड संख्या–10/2026 अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 191(2), 190, 127(2), 132, 262, 352 बी0एन0एस0 में नियमित जमानत हेतु दाखिल किया गया है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को अग्रिम जमानत के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक दिनांक 13.02.2026 से कारा में संसीमित है।

2. अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 17.01.2026 को सूचक वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुये संध्या गश्ती एवं छापामारी के लिए अपने टीम के गृहरक्षक अजय बमबम यादव 470870 पिता मेघु यादव साकिन लकरा थाना बरहट जिला जमुई एवं गृहरक्षक अजय कुमार यादव 470920 पिता बासुदेव यादव साकिन धमना थाना झाझा जिला जमुई दोनों लाठी पार्टी मनीष कुमार 471150 पिता रंजय सिंह साकिन डहुआ, थाना खैरा जिला जमुई एवं विकास साह 471082 पिता विनोद साह साकिन मछिन्द्रा, थाना झाझा जिला जमुई के साथ मद्यनिषेध थाना जमुई से प्रस्थान किये। गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि एक दो पहिया वाहन से गुगुलडीह के रास्ते रतनपुर होते हुये शराब का परिवहन होना है। अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुये उक्त सूचना के आलोक में रतनपुर नहर के पास पहुंचकर सड़क किनारे गाड़ी खड़ा कर इंतजार करने लगा। कुछ समय पश्चात् गाड़ी आते दिखा जिसे रूकने का ईशारा किया गया तो गाड़ी भगाने लगा। जिसका पीछा किया गया तो मोटरसाईकिल पटककर चालक एवं पीछे बैठा व्यक्ति भागने लगा। जिसे छापामारी दल में शामिल गृहरक्षक बल द्वारा दौड़कर पकड़ लिया गया तो पकड़ाये व्यक्ति द्वारा हो–हंगामा एवं शोर शराबा कर भीड़ इकट्ठा कर लिया गया। इकट्ठा भीड़ द्वारा सिपाही एवं पदाधिकारी के साथ धक्का मुक्की एवं मारपीट कर पकड़ाये व्यक्ति को छुड़ा लिया गया एवं टीम को बंधक बना लिया गया। किसी भी तरह अपने वरीय पदाधिकारी के साथ बल पहुंचता देख भीड़ में शामिल लोग भागने लगे। सिपाही द्वारा चिन्हित कर भाग रहे भीड़ से मोटरसाईकिल एवं शराब के साथ रहे एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। जिसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम मोनु कुमार उर्फ त्रिलोकीनाथ यादव उम्र 20 वर्ष करीब पिता शंकर यादव साकिन रतनपुर थाना गिद्धौर जिला जमुई बताया एवं एक और व्यक्ति जो भाग गया उसका नाम एवं पता पूछने पर उसका नाम पप्पू उर्फ धर्मेंद्र कुमार पिता लखन यादव साकिन दिघरा थाना झाझा जिला जमुई बताया। इस घटना में पदाधिकारी समेत टीम मे रहे सिपाहियों को चोट आया, जिसका मेडिकल रिपोर्ट संलग्न किया जा रहा है।

3. आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक दिनांक 13.02.2026 से कारा में संसीमित है। आवेदक द्वारा इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन धारा 482 तथा 483 बी0एन0एस0एस0 के तहत न तो विद्वान सत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल किया गया है। यह कि आवेदक जे0ए0एम0पी0एस0 केस नं0 112/26 में भी अभियुक्त है जो माननीय विशेष उत्पाद शुल्क न्यायालय द्वितीय जमुई के न्यायालय में लंबित था और उपयुक्त नाम का आवेदक उस मामले के संबंध में दिनांक 18.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उसी घटना के सम्बन्ध में आवेदक के विरूद्ध अलग–अलग पुलिस स्टेशनों में दो अलग–अलग मामले दाखिल किये गये हैं,

लगातार............

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–158 / 2026

(गिद्धौर थाना कांड संख्या–10 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय जमुई

मोनू कुमार उर्फ त्रिलोकीनाथ यादव बनाम बिहार सरकार

23.03.2026 लगातार

सिवाय इसके आवेदक का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं दिया गया है। आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है वह बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक अपने घर पर था और कुछ शरारती तत्वों के कारण आवेदक को संदेह के आधार पर सूचक के बहकावे में आकर इस झूठे वाद में आवेदक का जीवन बर्बाद करने के नियत से फंसाया गया है। यह कि आवेदक जे0ए0एम0 पी0एस0 केस नंबर 112 / 2026 में हिरासत में था और उसे पहले ही इस मामले में रिमांड पर लिया जा चुका है। आवेदक पर आरोपित सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति की है सिवाय 132 बी0एन0एस0 जो कि दिखावटी और उपर से जोड़ी गयी है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया कथित आरोप पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत और तुच्छ है। यह कि आवेदक के विरूद्ध एक ही घटना के सम्बन्ध में दो अलग अलग थानों में दो अलग अलग मामले दर्ज किये गये हैं। आवेदक के भौतिक कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आवेदक अपने पर लगाये गये सारे आरोपों से इन्कार करता है। यह कि आवेदक के भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक न्यायालय के संतुष्टियोग्य बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध नहीं करते है।

5. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नाजमद अभियुक्त है तथा प्राथामिकी धारा 126(2), 115(2), 191(2), 190, 127(2), 132, 262, 352 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। आरोपित धाराओं में धारा 132 बी0एन0एस0 को छोड़कर अन्य आरोपित धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं तथा आरोपित धाराओं में सजा की अवधि तीन वर्ष से कम है एवं अभियुक्त को धारा 35 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत नोटिस नहीं दिया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक पर आरोप है गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि एक दो पहिया वाहन से गुगुलडीह के रास्ते रतनपुर होते हुये शराब का परिवहन होना है। अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुये उक्त सूचना के आलोक में रतनपुर नहर के पास पहुंचकर सड़क किनारे गाड़ी खड़ा कर इंतजार करने लगा। कुछ समय पश्चात् गाड़ी आते दिखा जिसे रूकने का ईशारा किया गया तो गाड़ी भगाने लगा। जिसका पीछा किया गया तो मोटरसाईकिल पटककर चालक एवं पीछे बैठा व्यक्ति भागने लगा। जिसे छापामारी दल में शामिल गृहरक्षक बल द्वारा दौड़कर पकड़ा गया तो पकड़ाये व्यक्ति द्वारा हो–हंगामा एवं शोर शराबा कर भीड़ इकट्ठा कर लिया गया। इकट्ठा भीड़ द्वारा सिपाही एवं पदाधिकारी के साथ धक्का मुक्की एवं मारपीट कर पकड़ाये व्यक्ति को छुड़ा लिया गया एवं टीम को बंधक बना लिया गया। किसी भी तरह अपने वरीय पदाधिकारी के साथ बल पहुंचता देख भीड़ में शामिल लोग भागने लगे। सिपाही द्वारा चिन्हित कर भाग रहे भीड़ से मोटरसाईकिल एवं शराब के साथ रहे एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। जिसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम मोनु कुमार उर्फ त्रिलोकीनाथ यादव उम्र 20 वर्ष करीब पिता शंकर यादव साकिन रतनपुर थाना गिद्धौर जिला जमुई बताया एवं एक और व्यक्ति जो भाग गया उसका नाम एवं पता पूछने पर उसका नाम पप्पू उर्फ धर्मेन्द्र कुमार पिता लखन यादव साकिन दिघरा थाना झाझा जिला जमुई बताया। इस वाद के आवेदक दिनांक 13.02.2026 से कारा में संसीमित है।

अतः इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में तथा आवेदक के कारा में संसीमित रहने की अवधि को ध्यान में रखते हुये आवेदक को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता

लगातार................

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई</u>

<u>जमानत आवेदन संख्या–158 / 2026</u>

(गिद्धौर थाना कांड संख्या–10 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय जमुई

मोनू कुमार उर्फ त्रिलोकीनाथ यादव बनाम बिहार सरकार

23.03.2026 है। अतः आवेदक द्वारा 10,000 / –रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं साहित न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

मेमो संख्या–....................... दिनांक–........................

प्रति–न्यायालय–विद्वान ए0सी0जे0एम0, प्रथम, जमुई को प्रेषित।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

Web Copy